रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938
No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 63(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992, में--

(i) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"14. अभिलेख और विवरणियां:- (1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूपविधान -I के अनुसार शिक्षु और नियोक्ता के बीच किया गया शिक्षुता का संविदा नियोक्ता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षु तथा वैकल्पिक व्यवसाय शिक्षु द्वारा अनुसूची 3 यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान 2 में कार्य डायरी अनुरक्षित की जाएगी और सप्ताह में एक बार उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(3) प्रत्येक नियोक्ता अपने स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षुओं की उपस्थिति का एक रजिस्टर अनुरक्षित और अनियमित और अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए की गई कार्रवाई प्रत्येक मास के अंत में उक्त रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी।

(4) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक तिमाही के लिए अपने स्थापन में नियोजित स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य और दिए गए प्रशिक्षण का एक अभिलेख बनाकर रखेगा तथा प्रत्येक

तिमाही के अन्त में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शिक्षुता प्रारुप में एक रिपोर्ट संबंधित निदेशक, प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड को भेजेगा।"

(ii) अनुसूची 3 में __

(क) रूपविधान-1क रूपविधान-3, रूपविधान-3क, रूपविधान-4, शिक्षुता रूपविधान-1, शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम-1, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना-2 (आरडीएटी के लिए), शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम-3 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र), शिक्षुता रूपविधान -2 का लोप किया जाएगा;

(ख) "शिक्षुता प्ररूप-3" को शिक्षुता प्ररूप-1 के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा।

[सं. एमएसडीई-1(2)/2015-एपी]

आशीष शर्मा, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) तारीख 26 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, —

   (i) for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:–

   "14. Records and Returns, — (1) A contract of apprenticeship as entered between an apprentice and the employer as per Format-1 specified in Schedule III shall be forwarded on the portal-site by the employer for registration.

   (2) Work dairy in Format – 2 as specified in Schedule III shall be maintained by each Trade apprentice and Optional trade apprentice and countersigned by his supervisor once in a week.

   (3) Every employer shall maintain a register of attendance of the apprentices undergoing apprenticeship training in his establishment and action taken for irregular and unauthorised absence shall be recorded in the said register at the end of each month.

   (4) Every employer shall maintain a record of the work done and training undertaken by the graduate, technician and technician (vocational) apprentices engaged in his establishment, for each quarter and at the end of each quarter shall send a report in Form Apprenticeship specified in Schedule-III to the Director, Regional Board of Apprenticeship Training concerned."

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2017/चैत्र 15, 1939
No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 333(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात, शिक्षुता नियम,1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम 1992 में, नियम 7क, उप नियम (2), में "आठवीं कक्षा उत्तीर्ण" शब्दों के स्थान पर "पांचवी कक्षा उत्तीर्ण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. डीजीटी-2(2)/2016-एपी]

आशीष शर्मा, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186 (अ) तारीख 2 मार्च, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2017

G.S.R. 333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Third Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in rule 7A, in sub-rule (2), for the words "eight class pass", the words "fifth class pass" shall be substituted.

[F. No. DGT-2(2)/2016-AP]

ASHEESH SHARMA, Director General/Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 186(E), dated the 2nd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.06 23:31:34 +05'30'

(ii) in Schedule III, —

(a) Format-1A, Format-3, Format-3A, Format-4, Form Apprenticeship-1, Apprenticeship Training Scheme-1, Apprenticeship Training Scheme -2(For RDAT), Apprenticeship Training Scheme -3(State/Union Territory), Form Apprenticeship-2 shall be omitted;

(b) "Form Apprenticeship-3" shall be renumbered as "Form Apprenticeship-1.".

[No. MSDE-1(2)/2015-AP]

ASHEESH SHARMA, Director General/Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 198(E), dated the 26th February, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.28 10:55:23 +05'30'